केंद्र के कार्मिकों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं

I. हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार आदि प्रोत्साहन

1. वैयक्तिक वेतन– हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं आशुलिपि की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

(क) **प्रबोध परीक्षा**– वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रबोध पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है और जो इस परीक्षा को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण करते हैं। राजपत्रित अधिकारियों को प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन नहीं दिया जाता है।

(ख) **प्रवीण परीक्षा**– वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रवीण पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है-
(1) अराजपत्रित कर्मचारियों को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ।
(2) राजपत्रित अधिकारियों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

(ग) **प्राज्ञ परीक्षा** - वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों (राजपत्रित / अराजपत्रित) को प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दिया जाता है। जिनके लिए यह पाठयक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है।

(घ) **हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण**– हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि के बराबर 12 महीने की अवधि के लिए वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सहायक, अनुवादक, प्रवर श्रेणी लिपिक तथा प्रवर लेखा परीक्षक, जिनके लिए हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है पर उपयोगी है, को अवर श्रेणी लिपिकों की भांति ही उक्त वित्तीय प्रोत्साहन तथा अन्य सुविधाएँ इस संबंध में जारी की गई विभिन्न शर्तों के अधीन दी जाती हैं।

(ङ) **हिंदी आशुलिपि**– (i) अराजपत्रित हिंदी भाषी आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 12 महीने के लिए एक वेतन वृद्धि, जो आगामी वेतन वृद्धि में मिला दी जाती है, के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

(ii) राजपत्रित आशुलिपिकों को 90 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

जिन आशुलिपिकों (राजपत्रित एव अराजपत्रित दोनों) की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दो वेतन वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। ये वेतन वृद्धियां भावी वेतन वृद्धियों में मिलाई जाएँगी। ऐसे कर्मचारी पहले वर्ष दो वेतन वृद्धियों के बराबर और दूसरे वर्ष पहली वेतन वृद्धि को मिला दिए जाने पर केवल एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर सकते हैं।

टिप्पणी: जिस कर्मचारी को सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण से छूट मिली हुई हो उस कर्मचारी को संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किसी प्रकार के वितीय लाभ/ प्रोत्साहन नहीं मिलेंगे।

2 **नकद पुरस्कार**– हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएँ अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने पर पात्रता के अनुसार निम्नलिखित नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनकी वर्तमान दरें निम्नानुसार हैं-

(1) **प्रबोध**

1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर — Rs.1600/-
2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर — Rs.800/-
3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर — Rs.400/-

(2) **प्रवीण**

1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर — Rs.1800/-
2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर — Rs.1200/-
3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर — Rs.600/-

(3) **प्राज्ञ**

1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर — Rs. 2400/-
2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम — Rs. 1600/-

अंक प्राप्त करने पर

3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर — Rs. 800/-

(4) **हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण**

1. 97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर — Rs. 2400/-
2. 95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर — Rs. 1600/-
3. 90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर — Rs. 800/-

(5) **हिंदी आशुलिपि**

1. 95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर — Rs. 2400/-
2. 92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर — Rs. 1600/-
3. 88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर — Rs. 800/-

(6) **निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदीभाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर एकमुश्त पुरस्कार**

1. हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा — Rs.1600/-
2. हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा — Rs.1500/-
3. हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा — Rs.2400/-
4. हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण परीक्षा — Rs.1600/-
5. हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा — Rs.3000/-

जिन कर्मचारियों को हिंदी के सेवाकालीन प्रशिक्षण से छूट प्राप्त है उन्हें संबंधित स्तर की हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नकद एवं एकमुश्त पुरस्कार देय नहीं होंगे।

हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वित्तीय प्रोत्साहन तथा वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार से संबंधित आदेश उन सभी कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जो हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं आशुलिपि की परीक्षाएँ इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटर या कंप्यूटर का प्रयोग करके उत्तीर्ण करते हैं ।

टिप्पणी:1. एकमुश्त पुरस्कार प्रचालन कर्मचारियों के अतिरिक्त केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जो ऐसे स्थानों पर तैनात हैं जहाँ हिंदी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केंद्र नहीं हैं अथवा जहाँ संबंधित पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है ।

2 जो प्रशिक्षार्थी निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएँ उत्तीर्ण करते हैं उनको एक मुश्त पुरस्कार के अलावा नकद पुरस्कार प्रदान करते समय निर्धारित किए गए प्रतिशत से पाँच प्रतिशत अंक कम प्राप्त करने पर भी नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

II. अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी सरकारी काम-काज करने के लिए आशुलिपिकों तथा टंककों के लिए प्रोत्साहन भत्ता

अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी सरकारी काम-काज करने के लिए आशुलिपिकों तथा टंककों के लिए प्रोत्साहन भत्ता प्रतिमाह क्रमश: 240/- रूपये व 160/- देने का प्रावधान है । (आदेश सं. 13034/12/2009-रा.भा.(नीति))

III. सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना

सरकारी काम मूल रूप से हिंदी में करने के लिए पुरस्कार राशि निम्न प्रकार है –

(क)केन्द्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संबंद्ध कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से:

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक 5000/- रूपये
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) : प्रत्येक 3000/- रूपये
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) : प्रत्येक 2000/- रूपये

(ख) केन्द्र सरकार के किसी विभाग के प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से:

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक 5000/- रूपये
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) : प्रत्येक 3000/- रूपये
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) : प्रत्येक 2000/- रूपये

योजना के लिए मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नवार हैं :-

(i) केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से इस योजना को लागू कर सकते हैं ।

(ii) सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकते हैं जो सरकारी काम पूर्णत: या कुछ हद तक मूल रूप से हिंदी में करते हैं ।

(iii) केवल वही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो ‘क’ तथा ‘ख’ क्षेत्र में वर्ष में कम से कम 20 हजार शब्द तथा ‘ग’ क्षेत्र में वर्ष में कम से कम 10 हतार शब्द हिंदी में लिखें । इसमें मूल टिप्पण व प्रारूप के अलावा हिंदी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे रजिस्टर में इन्दराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि, भी शामिल किए जाएंगे ।

(iv) आशुलिपिक/टाइपिस्ट, जो सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी किसी अन्य योजना के अंतर्गत आते हैं इस योजना में भाग लेने के पात्र होंगे ।

(v) हिंदी अधिकारी और हिंदी अनुवादक सामान्यत: अपना काम हिंदी में करते हैं, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।

(vi) योजना के प्रयोजन के लिए प्रत्येक अलग भौगोलिक स्थिति वाले कार्यालय को स्वतंत्र एकक माना जाएगा । उदाहरणार्थ अलग क्षेत्र में स्थित आयकर आयुक्त के अधीन सहायक आयकर आयुक्त आदि का कोई कार्यालय अथवा रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक के अधीन क्षेत्रीय अधीक्षक आदि का कार्यालय इस योजना के चलने के लिए एक स्वतंत्र एकक माना जाएगा । रक्षा मंत्रालय या डाक तार विभाग के अधीनस्थ तथा संबद्ध कार्यालयों आदि के बारे में भी ऐसी ही स्थिति होगी ।

(vii) (क) मूल्यांकन करने के लिए कुल 100 अंक रखे जाएगें । इनमें से 70 अंक हिंदी में किए गए काम की मात्रा के लिए रखे जाएगें और 30 प्रतिशत अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे । (ख) जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम,बंगाली,उड़िया या असमिया हो उन्हें 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा । ऐसे कर्मचारी को दिए जाने वाले वास्तविक अंकों के लाभ का निर्धारण मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा । ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों/कर्मचारियों के काम के स्तर को भी ध्यान में रखेगी जो अन्यथा उससे क्रम में ऊपर हैं ।

IV. अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना

(i) अधिकारियों को डिक्टेशन देने के लिए प्रतिवर्ष 5000/- रूपए का पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है । इस योजना के मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नवार हैं :-

(i) ऐसे सभी अधिकारी, जिन्हें आशुलिपिक की सहायता उपलब्ध है या जो समान्यत: डिक्टेशन देते हैं, इस योजना में शामिल हो सकते हैं ।

(ii) योजना की अवधि वित्तीय वर्ष रखी जाए ।

(iii) योजना में भाग लेने वाले अधिकारी उनके द्वारा हिंदी में दिए गए डिक्टेशन के बारे में रिकार्ड रखेंगे ।

(iv) पुरस्कार योजना के अंतर्गत 5000/- रूपए का पुरस्कार रखा जा सकता है । पुरस्कार दो भी रखे जा सकते हैं एक पुरस्कार ऐसे अधिकारियों के लिए जिनका घोषित निवास स्थान 'क' तथा 'ख' क्षेत्र के अंतर्गत हो, और दूसरा पुरस्कार ऐसे अधिकारियों के लिए जिनका घोषित निवास स्थान 'ग' क्षेत्र में हो ।

(v) सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय इस योजना को स्वयं बना सकते हैं और पुरस्कार के लिए आवश्यक हिंदी डिक्टेशन कार्य की न्यूनतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं । 'कार्यालय' से तात्पर्य सामान्यत: उस कार्यालय से होगा जिनका स्थानीय मुख्य अधिकारी विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया गया हो ।

(vi) पुरस्कार निर्धारित करने के लिए किसी उच्च अधिकारी को मूल्यांकन अधिकारी नामित किया जा सकता है, अथवा इस हेतु एक समिति गठित की जा सकती है ।